Ref. No. UOU/R/का.परि./43/2025

Date: 04 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
4. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, सीईओ, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुआँ, नैनीताल।
5. प्रोफेसर शची शाह, निदेशक, COE, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
6. श्री सत्य प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (नामित प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, उपाचार्य, जन्तु विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **43वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(खेमराज भट्ट)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. **प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत,** — **सदस्य**
   (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल),
   I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी।

4. प्रोफेसर शची शाह, — सदस्य
   निदेशक, COE
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।

5. श्री सत्य प्रकाश सिंह, — सदस्य
   संयुक्त सचिव,
   उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
   (प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
   (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

6. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, — सदस्य
   निदेशक,
   मानविकी विद्याशाखा,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

7. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, — सदस्य
   निदेशक,
   कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, सदस्य
सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. डॉ0 नीरजा सिंह, सदस्य
सहायक आचार्य, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. श्री खेमराज भट्ट, सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. श्री सूर्य प्रताप सिंह, आमंत्रित सदस्य
मुख्य वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर सोमेश कुमार, आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

माह नवम्बर, 2024 में विश्वविद्यालय कार्य परिषद का पुर्नगठन होने के उपरान्त परिषद की यह प्रथम बैठक आयोजित की गयी। सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा समस्त उपस्थित सदस्यों/ आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की **43**वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तद्क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, प्रोफेसर शची शाह (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित श्री सत्य प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून) का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 43वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 43.01- कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/42/2024, दिनांक **21**.11.2024 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>निर्णय-</u> *कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 42वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 43.02- कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

<u>निर्णय:-</u> *कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 43.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा D.O. No. F.4-6/2020(NSQF), दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने के संबध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप दिनांक 24 मार्च, 2025 को **"Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025"** के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है **(संलग्नक-02)**। इसका उद्देश्य शिक्षा को व्यावहारिक बनाने, छात्रों की रोज़गार योग्यता बढ़ाने, और अकादमिक तथा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करना है।

<u>प्रमुख उद्देश्य</u>

- स्नातक छात्रों की रोज़गार क्षमता में वृद्धि करना।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल

- परिणाम आधारित अधिगम को बढ़ावा देना।
- कौशल अंतर को पाटने के लिए उद्योग के साथ सहयोग कर AEDP लागू करना।

पात्रता

- वे उच्च शिक्षण संस्थान जो:
    - NIRF रैंकिंग में शामिल हैं, या
    - NAAC मूल्यांकन या स्कोर प्राप्त कर चुके हैं, या
    - यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं।

कार्यक्रम की संरचना

- सभी स्नातक (UG) कार्यक्रमों में लागू।
- एप्रेंटिसशिप अवधि:
    - 3 वर्षीय पाठ्यक्रम: 1 से3 सेमेस्टर
    - 4 वर्षीय पाठ्यक्रम: 2 से 4 सेमेस्टर
- पहले सेमेस्टर में एप्रेंटिसशिप नहीं होगी।
- अंतिम सेमेस्टर पूर्णरूप से एप्रेंटिसशिप हेतु समर्पित होगा।

कार्यान्वयन रूपरेखा

- HEI, उद्योग और छात्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता आवश्यक।
- प्रशिक्षार्थियों को कार्यक्षेत्र पर वास्तविक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम उद्योग साझेदारी में तैयार किया जाएगा और NSQF/NHEQF से संरेखित होगा।

क्रेडिट और मूल्यांकन

- अवधि आधारित क्रेडिट प्रणाली (जैसे 3 माह = 10 क्रेडिट)
- मूल्यांकन के तीन प्रमुख भाग:
    1. उद्योग द्वारा मूल्यांकन (30–40%)
    2. संस्थान के फैकल्टी मेंटर द्वारा (30–40%)
    3. प्रस्तुतीकरण/वाइवा (20–40%)

वृत्ति (Stipend)

- यदि NATS पोर्टल के माध्यम से किया गया तो सरकार द्वारा भुगतान।
- प्रत्यक्ष उद्योग साझेदारी में उद्योग द्वारा भुगतान, एप्रेंटिस अधिनियम के अनुसार।

भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

- HEI: पाठ्यक्रम निर्माण, समझौते, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रमाणन।
- उद्योग: प्रशिक्षण, वृत्ति, सह-मूल्यांकन, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान।
- BOAT/BOPT: सहयोग और अनुपालन सुनिश्चित करना।
- छात्र/शिक्षार्थी: प्रशिक्षण पूर्ण करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अनुशासन बनाए रखना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल

<u>प्रशासनिक दिशा-निर्देश</u>

- HEIs को AEDP अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ही संचालित करनाहोगा।
- फ्रेंचाइज़ी मॉडल प्रतिबंधित है।
- दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर HEI के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि:
    - यूजीसी योजनाओं से वंचित करना,
    - डिग्री कार्यक्रम संचालित करने से रोकना,
    - ODL/ऑनलाइन कार्यक्रमों से रोकना, आदि।

एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) छात्रों को अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ औद्योगिक अनुभव प्रदान करता है। यह पहल विद्यार्थियों को रोजगार हेतु तैयार करती है, और शिक्षा-से- रोज़गार संक्रमण को आसान बनाती है।

अत: उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा D.O. No. F.4-6/2020(NSQF), दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय:-</u> ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को यथावत अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए सूचना शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।***

प्रस्ताव संख्या 43.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा F.No.2-3/2022 (QIP), दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने के संबध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा पूर्व शिक्षण की मान्यता हेतु "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education" के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (NCrF)के अनुरूप हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य औपचारिक, अनौपचारिक और गैर-औपचारिक तरीकों से अर्जित ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करना है।

<u>उद्देश्य और प्रयोजन</u>

RPL का लक्ष्य है:

- अनुभव आधारित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना।
- निरंतर और आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटना।
- रोजगार क्षमता, आत्म-सम्मान, और सामाजिक समावेशन को बढ़ाना।
- सभी प्रकार की शिक्षा को क्रेडिट में बदलना और उच्च शिक्षा में मान्यता देना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **लचीला ढांचा**:- यह दिशा-निर्देश SOP (Standard Operating Procedure) नहीं हैं, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने संदर्भ में कार्य विधियाँ विकसित करने हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं।
- **NCrF के अनुरूपता**:- अकादमिक, व्यावसायिक, और अनुभवजन्य शिक्षा को एकीकृत करने की सुविधा।
- **मूल्यांकन की विविध विधियाँ**:- पोर्टफोलियो, साक्षात्कार, मानकीकृत परीक्षा, प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से।
- **तीन प्रकार की RPL**:- औपचारिक, अनौपचारिक, और गैर-औपचारिक शिक्षण हेतु मान्यता।

मूल्यांकन और क्रेडिट प्रावधान

- क्रेडिट प्रदान करने का आधार केवल समय नहीं बल्कि सीखने के परिणाम होते हैं।
- संस्थानों को मूल्यांकन की स्वतंत्रता होती है, परंतु उन्हें राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होता है।
- मूल्यांकन के सिद्धांत: *स्वीकार्य*, *पर्याप्त*, *प्रामाणिक*, और *प्रासंगिक*।

हित धारकों को लाभ

- **विद्यार्थियों के लिए**:- उच्च शिक्षा, करियर उन्नति, सामाजिक मान्यता।
- **नियोक्ताओं के लिए**:- कौशल मान्यता, प्रशिक्षण लागत में कमी।
- **शैक्षणिक संस्थानों के लिए**:- विविध और समावेशी नामांकन।
- **सरकार के लिए**:- GER में वृद्धि, कुशल कार्यबल निर्माण।
- **उद्योग निकायों के लिए**:- आवश्यकतानुसार कौशलयुक्त मानव संसाधन।

कार्यान्वयन प्रणाली

- UGC द्वारा विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, और NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों को RPL लागू करने का अधिकार।
- RPL मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना और शासन तंत्र का निर्धारण।
- डिजिटल ढांचे द्वारा प्रमाणन, क्रेडिट ट्रैकिंग, और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

RPL प्रक्रिया के चरण

1. जागरूकता एवं मार्गदर्शन।
2. पूर्व-मूल्यांकन और साक्ष्य संकलन।
3. मूल्यांकन।
4. क्रेडिट प्रदान करना एवं प्रमाणन।
5. अपील की व्यवस्था।

अत: उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा F.No.2-3/2022 (QIP), दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education"

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- *कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा* **"Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education"** *के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को यथावत अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए सूचना शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।*

प्रस्ताव संख्या 43.05- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारीकरण के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि **दिनांक 31 दिसम्बर, 2024** को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 जनवरी, 2025 से दिनांक 30 जून, 2025** तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडिया एडिटर की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि **दिनांक 28 फरवरी, 2025** को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 मार्च, 2025 से दिनांक 31 अगस्त, 2025** तक (छः माह) सेवा विस्तारित की गयी है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- *कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार माननीय कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 43.06- दिनांक 26 मार्च, 2025 को विश्वविद्यालय में कुल 14 विषयों में सहायक आचार्य (ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु यू0जी0सी0(डेब) के मानकों को पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कुल 14 विषयों में 23 अस्थाई शिक्षकों को नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार छः माह की अनधिक अवधि हेतु नियोजित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त नियोजन हेतु दिनांक 26 मार्च, 2025 को विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) में वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न कराये गये। तदक्रम में वॉक-इन-इन्टरव्यू के आधार पर चयन समिति द्वारा कुल 21 सहायक आचार्य (ए.सी.) के चयन की संस्तुति की गयी है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- *प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा प्रस्ताव पर माननीय कुलपति जी द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 43.07- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 एवं विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक दिनांक 03.04.2025 (By Circulation) एक सूत्रीय कार्यसूची की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो गयी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु UGC (DEB) में आवेदन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्त के क्रम में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम के SLM (Self-Learning Materials) व PPR (Program Project Report) पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने एवं RCI द्वारा निर्धारित पाठयक्रम को अंगीकृत किये जाने हेतु विशिष्ट शिक्षा विभाग की **दिनांक 03 अप्रैल, 2025** को अध्ययन बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। अध्ययन बोर्ड द्वारा उक्त पर सहमति प्रदान की गयी है। अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों एवं एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम के SLM (Self-Learning Materials) व PPR (Program Project Report) पर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था। तदक्रम में विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक (By Circulation) दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गयी।

विद्या परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के अन्तर्गत बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) की दिनांक 03.04.2025 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड **(Board of Studies)** की संस्तुतियों एवं **M.A. Human Rights** तथा **M.A. Library & Information Science** कार्यक्रम के **SLM (Self-Learning Materials)** व **PPR**

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(Program Project Report) पर ई-मेल के माध्यम से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदक्रम में विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर ई-मेल से दी गयी स्वीकृति की प्रति माननीय कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 के कार्यवृत्त में प्रस्ताव संख्या-31.12 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या-31.12.01 में विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र की **SOP** में विद्या परिषद द्वारा संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र को कुछ आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदक्रम में महिला अध्ययन केन्द्र की संशोधित **SOP** माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

निर्णयः- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 एवं विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक (जो एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम के SLM (Self-Learning Materials) व PPR (Program Project Report) पर विद्या परिषद के अनुमोदन हेतु दिनांक 03.04.2025 को By Circulation आयोजित की गयी थी), की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए महिला अध्ययन केन्द्र की संशोधित SOP पर स्वीकृति प्रदान की गयी।***

प्रस्ताव संख्या 43.08- विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 19.03.2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णयः- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 19.03.2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 43.09- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सह-आचार्य (अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सह-आचार्य(अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नत किये जाने हेतु

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

चयन समिति की बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियां सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- *प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफा खोला गया तथा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित सह-आचार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 14 में पदनाम सहित प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इस दौरान डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल बैठक से अनुपस्थित रहेः-*

क्रम सं0	नाम	पदनाम	विषय	अकादमिक स्तर 14 में पदनाम (आचार्य) सहित प्रोन्नित की तिथि
1.	डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल	सह-आचार्य	प्राणि विज्ञान	12.02.2024

प्रस्ताव संख्या 43.10- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 43.10.01- Expression of Interest से संबंधित शासनादेश संख्या- 318/XXIV-C-1/2025-12(02)/2025, दिनांक 29 मार्च, 2025 के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी, श्री सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश पर दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग में वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिगत बैंकिंग पार्टनर के चयन के विषय में एक बैठक हुई। बैठक में सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्याधीन समस्त विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग हेतु बैंकिंग पार्टनर के चयन हेतु Expression of Interest आमंत्रित किया गया है जिसके द्वारा ही समस्त विश्वविद्यालयों में बैंकिंग सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों तथा कार्यों की प्रगति संबंधित पोर्टल भी तैयार किया जायेगा। इस संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों से उनके मन्तव्य की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- *प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तदुपरान्त सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि शासन से इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित प्रकरण को विश्वविद्यालय की वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाय।*

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 43.10.02- डॉ0 कमल देवलाल, प्राध्यापक, भौतिकी द्वारा यू0जी0सी0 विनियम, 2023 के अनुसार पदोन्नति/अर्हता तिथि संशोधन किये जाने हेतु माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी को प्रेषित किये गये प्रत्यावेदन पर श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त पत्र दिनांक 21 मार्च, 2025 के संबंध में विचार।

<u>निर्णयः-</u> *प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डॉ0 कमल देवलाल, प्राध्यापक, भौतिकी द्वारा यू0जी0सी0 विनियम, 2023 के अनुसार पदोन्नति/अर्हता तिथि संशोधन किये जाने संबंधी प्रकरण को शासन को संदर्भित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार माननीय कुलाधिपति सचिवालय को प्रतिउत्तर प्रेषित किये जाने पर निर्णय पारित किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 43.10.03- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर पदों को पूरित किये जाने हेतु राज्य सरकार की सेवा नियमावली को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर पदों की सेवा नियमावली निर्मित नहीं है। अतएव राज्य सरकार की सेवा नियमावली अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णयः-</u> *प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में व्यवस्था दी गयी कि शिक्षणेत्तर संवर्ग हेतु जो नियम विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित नहीं है तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवा नियमावली को यथावत अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)